न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2016

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
2. कृष्ण कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
3. पृथ्वीराज पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
5. शेषकरण पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
6. पवन कुमार उर्फ हनुमान पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
7. विजयपाल पुत्र सुण्डा जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
8. महावीर पुत्र सुण्डा जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
9. शारदा उर्फ संतोष पुत्री सुण्डाराम पत्नि शेराराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तह0 पीलीबंगा
10. दिवा उर्फ प्रमिला पुत्री सुण्डाराम पत्नि बलवीर कुमार जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तह0 पीलीबंगा
11. काशीराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
12. हरंचद पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी
13. सरजीत पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एफटीपी चंदूरवाली तह0 टिब्बी।

प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, हनुमानगढ।

अप्रार्थी

पैतांलीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन शर्तें 1970

उपस्थितः– श्री तरसेम सिंह अभिभाषक प्रार्थीयान।
श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 27.07.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि स्व0 खेताराम के नाम चक 1 एफटीपी बी में प0नं0 208/231 मु0नं0 4 किला नं0 1,2,9,10,11,12,19 कुल 1.771 हैक्टेयर यानि 7 बीघा भूमि गैर दाखिलकारी थी। स्व0 खेताराम दिनांक 05.10.1982 को फौत होने पर विवादित 7 बीघा भूमि उनके पुत्र स्व0 मनीराम, बुधराम व सुण्डाराम पर बहिस्सा बराबर औद हुई तथा मनीराम, बुधराम व सुण्डाराम के फौत होने पर विवादित 7 बीघा भूमि प्रार्थीयान पर विरासतन औद हुई। विवादित 7 बीघा भूमि खेताराम की गैरदाखिलकारी भूमि थी। परन्तु भू–अभिलेख में सहवन से गैर खातेदार अंकित हो गई, जबकि विवादित 7 बीघा भूमि गैर दाखिलकारी की भूमि थी। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज संवत 2008 से ही इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीस क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें 1970 के तहत निर्धारित दिनांक को ही प्रार्थीगण के कब्जा में उक्त भूमि थी तथा आज भी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण में नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार का अंकन होने का ज्ञान हुआ। जिस पर बिना किसी देरी के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को दिनांक 28.4.2016 को राजस्व रिकार्ड प्राप्त हुआ तभी सर्वप्रथम प्रश्नगत भूमि उनके नाम गैर खातेदार अंकित होने का ज्ञान हुआ है। जिससे यह प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है। प्रार्थना पत्र मय निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 1 एफटीपी बी के खाता सं0 149/132 के प0नं0 208/231 के किला नं0 1,2,9,10,11,12,19 की कुल 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्थान उप0 पैंतालिसा क्षेत्र में गै0दा0 आंवटन नियम 1970 के तहत आंवटित किये जाने का आदेश फरमायें।

प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को प्रतिवेदन मय प्रश्नोतरी मंगवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के पत्रांक भू0अ0/2019/3665 दिनांक 18.12.19 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा उक्त रकबा पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होना अंकित किया है तथा उक्त रकबा पर किसी प्रकार का विवाद या स्थगन नहीं होना बताया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस रकबे पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन या विवाद नहीं है।

अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा सूची नं0 03 के साथ रिकार्ड पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के ताईद में अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा जमाबंदी 1 एफटीपी संवत 2070 से 2073, नकल पर्चा खतौनी गिलवाला 1 एफटीपी, जमाबंदी गिलवाला संवत 2011 से 2014, खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2016, 2017 आदि अन्य दस्तावेज पेश किये। शपथ पत्र द्वारा जायज वारिसान की सूची पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी पक्ष के अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बहस के अनुसार निवेदन किया कि सन 1959–60 में प्रार्थीगण के दादा का कब्जा रहा है। उनके बाद उनके तीन पुत्रों को उक्त 7 बीघा जमीन बंटवारा में आने के बाद खेताराम के तीनों पुत्रों का कब्जा लगातार चलता रहा है। वर्तमान में खेताराम के पौत्रों का कब्जा बरकरार है। उक्त जमीन कुल 7 बीघा खेताराम के समय से लेकर आज तक प्रार्थीगण के परिवार के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस दौरान उक्त भूमि गैरदाखिलकारी भूमि गैर खातेदार के रूप में दर्ज हो गयी , इसका ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जवाब में भी उक्त भूमि को गैर दाखिलकार बताया है। प्रश्नगत भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 से 15 बतौर गैरदाखिलकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2016 प्रार्थी पक्ष की काश्त दर्ज है। इन्होने हमारा ध्यान उक्त जमाबंदी तथा गिरदावरी की ओर आकर्षित कराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त कब्जा काश्त तथा स्वामित्व की पुष्टि तहसील रिपोर्ट से होती है। यह रकबा शुरू से निर्विवादित रकबा रहा है। यह भूमि गैरदाखिलकारी की है। प्रार्थना पत्र ज्ञान के आधार पर अंदर मियाद बताया और शर्त सं0 6(2) का नोटिस नहीं मिलना बताया। सीलिंग के संबंध में इन्होने प्रार्थी के शपथ पत्र दिनांक 22.07.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पक्ष की पात्रता 9(ग) के अंतर्गत सिद्ध होती है। अतः राजकीय रेट पर उक्त भूमि का आवंटन किया जावे।

बहस का उतर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि भूमि गैरदाखिलकारी की साबित हो तो कीमतन आवंटन की जा सकती है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के संबंध मे विचार करें तो हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि प्रार्थी पक्ष को गैरदाखिलकार शर्तो की शर्त सं0 6(2) का नोटिस दिया हो। ऐसी अवस्था में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माना जाता है। प्रस्तुत कर्ता अभिलेख जमाबंदी संवत 2011 से 14 प्रार्थी पक्ष के खेता बल्द भोमा की गैरदाखिलकारी की भूमि है तथा गिरदावरी संवत 2016 के अनुसार प्रार्थी पक्ष (खेता वल्द भोमा) की काश्त दर्ज है

पर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

तथा पर्चा खतौनी में अंकन पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की पात्रता शर्त सं0 9 (ग) के अंतर्गत साबित होती है। अतः पत्रावली में उपलब्ध पर्चा खतौनी चक 9 एफटीपी ग्राम गिलवाला में विवादित भूमि खेता वल्द भोमा के नाम से है। जमाबंदी की नकल सं0 2011 से 14, 2015–16 में भी खेता वल्द भोमा की काश्त दर्ज है। प्रश्नोतरी प्रपत्र में पटवारी व तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर सं0 2011 से लगातार विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। इस प्रकार विवावित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त गत लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। अतः स्व0 खेताराम के नाम चक 1 एफटीपी बी में प0नं0 208/231 मु0नं0 4 किला नं0 1,2,9,10,11,12,19 कुल 1.771 हैक्टेयर यानि 7 बीघा का पुख्ता आवंटन शर्त सं0 9 (ग) के अंतर्गत कीमत किया जाता है। आंवटन आदेश जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27.07.2021

(अशोक कुमार असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़